

वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 फरवरी, 2020-माघ 18, शके 1941

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH BENCH AT INDORE

Company Petition No. 21/2012

Advertisement of Petition

Form No. 48 (*See Rule 99*)

In the Matter of

Kotak Mahindra Bank Limited

.....Petitioner

V/s.

Pithampur Steels Limited

(now known as Nardhana Infrastructure Ltd.)

Registered office at 509, Chetak Centre,

12/2, R.N.T. Marg, Indore 452 001.

.....Respondent

Advertisement of Petition

Notice is hereby given that a petition for the winding -up of the above named Company by the High Court of Madhya Pradesh at Indore was on the 30th day of August 2012, presented to the said Court by the said Petitioner M/s Kotak Mahindra Bank Limited, having its Registered Office at 27, BKC, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai and office address at Asset Reconstruction Division, 6th Floor, 12, BKC, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051, in the capacity of Secured Creditor, and that the said petition is directed and likely to be heard before the Court on the 20th day of January 2020.

Any Creditor, contributory or other person desirous of supporting or opposing the making of an order on the said petition should send to the Petitioner or his advocate notice of his intention signed by him or his advocate with his name and address, so as to reach the petition or his advocate not later than

5 days before the date fixed for the hearing of the petition, and appear at the hearing for the purpose in person or by his advocate. A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any creditor or contributory on payment of the prescribed charges for the same.

Any affidavit intended to be used in opposition to the petition should be filed in court, and a copy served on the petitioner or his advocate, not less than 5 days before the date fixed for the hearing.

Date: 14-01-2020

GAURAV CHHABRA,
(Adv. for Kotak Mahindra Bank Ltd)
Address: G-9, Man Heritage,
6/2, South Tukoganj Near High Court,
Indore-452001 (M.P.).

(1082-B.)

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम) CIN: U40109MP2001SGC014880

मुख्य अभियन्ता (योजना एवं रूपांकन)

जबलपुर, दिनांक 28 दिसम्बर, 2019

क्र.-04-02/195/यो.रूपा./2680.—यह कि केंद्रीय सरकार की विद्युत अधिनियम, 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) की धारा-67 (2) एवं धारा-176 (2) ड. के अधीन प्रदत्त अधिकारों एवं कर्तव्यों के पालन हेतु मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (डीएम्ड ट्रांसमिशन लाईसेंसी) द्वारा विद्युत उत्पादन गृहों से विद्युत की निकासी करने, विद्यमान अति उच्चदाब विद्युत उपकरणों से राज्य के अन्य क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने एवं राज्य के विभिन्न उत्पादन गृहों/उपकरणों के बीच अति उच्चदाब लाइनों द्वारा अंतर्सम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य से 220 एवं 132 किलोवोल्ट पारेषण लाइनों एवं संर्बंधित उपकरणों की स्थापना/विस्थापन के कार्य पारेषण परियोजनाओं अथवा उपभोक्ता सहभागिता कार्यों की श्रेणी के अंतर्गत स्वीकृत किये गये हैं।

इन स्वीकृत पारेषण परियोजनाओं को मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड निम्नानुसार अधिसूचित करती है:-

- (1) नाम : ये परियोजनायें 220 एवं 132 किलोवोल्ट (के. व्ही.) लाइनों व संर्बंधित कार्यों के निर्माण की परियोजनायें कहलायेंगी।
- (2) परियोजनाओं का विवरण : परियोजनाओं में सम्मिलित विभिन्न कार्यों का क्षेत्र, लाइनों की लंबाई व अनुमानित लागत आदि का विवरण निम्नानुसार है:-

(I) 220 के.व्ही. के कार्य :-

1. 220 के.व्ही. बीना-ग्वालियर लाईन का 132 के. व्ही. उपकेन्द्र पिछोर को 220 के. व्ही. उपकेन्द्र में उन्नयन करने हेतु विस्थापन/संशोधन का कार्य, लंबाई 2x2.0 कि.मी., अनुमानित लागत-352.79 लाख रु.

(II) 132 के.व्ही. के कार्य :-

(i) पारेषण लाईनें :-

1. बोरगाँव 132 के.व्ही. उपकेन्द्र से सतनूर 132 के.व्ही. उपकेन्द्र डीसीडीएस लाईन का निर्माण कार्य, लंबाई-10 कि.मी., अनुमानित लागत-810 लाख रु.
2. पाण्डूरा 220 के.व्ही. उपकेन्द्र से सतनूर 132 के.व्ही. उपकेन्द्र डीसीडीएस लाईन का निर्माण कार्य लंबाई-40 कि.मी., अनुमानित लागत-3200 लाख रु.

(ii) नये उपकेन्द्र की स्थापना :-

1. सतनूर (जिला-छिन्दवाड़ा) में 2x50 एमव्हीए 132/33 के.व्ही. क्षमता के नये उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-2200.00 लाख रु.

(iii) 132 के.व्ही. फीडर बे निर्माण कार्य :-

- बोरगाँव 132 (2), पाण्डूरा 220 (2), शिवपुरी 132 (1), कुल 05 नं. फीडर बे, अनुमानित लागत 500 लाख रु.

(III) उपभोक्ता सहभागिता कार्य :-

1. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भोपाल द्वारा रा. रा. क्र.-12 के भोपाल ब्यौवरा खण्ड के कि.मी. 316/10 से 423/40 के मध्य 4 लेन रोड के निर्माण के फलस्वरूप म.प्र.म.क्षे.वि.कि.लि. की टॉवर पर स्थित 33 के.व्ही. लालघाटी भोपाल रिंग मेन लाइन के लोके. क्रमांक 3 से 6 के मध्य विस्थापन/संशोधन कार्य लंबाई 2x0.6 कि.मी. अनुमानित लागत- 24.66 लाख रु.

2. 220 के.व्ही. उपकेन्द्र शिवपुरी से रेल विकास निगम लिमि. द्वारा प्रस्तावित कर्षण विद्युत उपकेन्द्र शिवपुरी जिला शिवपुरी को विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के.व्ही. 2 फेस 2 वायर डी.सी.एस.एस. लाईन का निर्माण जिसमें 220 के.व्ही. गुना-शिवपुरी लाइन एवं 220 के.व्ही. शिवपुरी-सबलगढ़ लाइन का संशोधन/विस्थापन कार्य भी सम्मिलित है।

लंबाई 1x6.0 (132 के.व्ही. 2 फेस 2 वायर) 2x2.5 (132 के.व्ही.) 2x0.8 (220 के.व्ही.) 4x1.4 (220 के.व्ही.) कि.मी., अनुमानित लागत-1532.76 लाख रु.

(पूर्व प्रकाशन का संशोधन)

3. गोंदिया-नैनपुर-जबलपुर रेलवे खण्ड में विद्युतीकरण हेतु 132 के.व्ही. उपकेन्द्र लालबरा से रेलवे इलेक्ट्रीफिकेशन जबलपुर द्वारा प्रस्तावित कर्षण विद्युत उपकेन्द्र समनापुर जिला बालाघाट को विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के.व्ही. 2 फेस 2 वायर (डीसीएसएस) लाईन का निर्माण, लंबाई 1x19.0 कि.मी., अनुमानित लागत- 1681.01 लाख रु.

(पूर्व प्रकाशन का संशोधन)

4. 220 के.व्ही. उपकेन्द्र राजगढ़ से पश्चिम मध्य रेलवे के विजयपुर-मकसी खण्ड में प्रस्तावित कर्षण विद्युत उपकेन्द्र व्यावरा जिला-राजगढ़ को विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के.व्ही. 2 फेस 4 वायर डी.सी.डी.एस. लाईन का निर्माण, लंबाई 2x23 कि.मी., अनुमानित लागत-1831.02 लाख रु.

(पूर्व प्रकाशन का संशोधन)

5. पश्चिम रेलवे रतलाम द्वारा प्रस्तावित कर्षण विद्युत उपकेन्द्र निमारखेड़ी जिला खण्डवा को विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के.व्ही. उपकेन्द्र सनावद से 132 के.व्ही. 2 फेस 2 वायर (डीसीएसएस) लाईन का निर्माण लंबाई 1x17 कि.मी., अनुमानित लागत-1265.34 लाख रु.

(पूर्व प्रकाशन का संशोधन)

6. पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल द्वारा पावरखेड़ा से जुझारपुर स्टेशन के मध्य नई रेलवे लाइन के निर्माण के फलस्वरूप आवश्यक निम्न कार्य :-

(i) 220, के.व्ही. डीसीडीएस इटारसी (पीजीसीआईएल)-होशंगाबाद लाइन के लोके. क्र. 11 (3बी) से 32 के मध्य विस्थापन/संशोधन कार्य, लंबाई 2x5.4 कि.मी., अनुमानित लागत-712.66 लाख रु.

(ii) 132, के.व्ही. डीसीडीएस इटारसी-होशंगाबाद लाइन के लोके क्र. 11 से 16 के मध्य विस्थापन / संशोधन कार्य, लंबाई 2x1.6 कि.मी., अनुमानित लागत- 190.68 लाख रु.

7. एमपीआरडीसी द्वारा देवास बायपास रोड के उज्जैन-देवास जंक्शन से इंदौर जंक्शन खण्ड के मध्य चौड़ीकरण एवं 4/6 लेन में उन्नयन के फलस्वरूप 220 के.व्ही. देवास-आष्टा लाइन के लोके. क्र. 2 से 3 के मध्य विस्थापन/संशोधन कार्य, लंबाई 2x0.4 कि.मी., अनुमानित लागत-51.86 लाख रु.

8. एमपीआरडीसी द्वारा देवास बायपास रोड के देवास-सोनकच्छ जंक्शन से इंदौर जंक्शन खण्ड के मध्य चौड़ीकरण एवं 4/6 लेन में उन्नयन के फलस्वरूप 132 के.व्ही. देवास-सोनकच्छ एससी लाइन के लोके क्र. 3 (126) से 132 के मध्य विस्थापन/संशोधन कार्य, लंबाई 1x1.1 कि.मी., अनुमानित लागत- 70.16 लाख रु.

9. एमपीआरडीसी द्वारा देवास बायपास रोड के देवास-चापड़ा जंक्शन से इंदौर जंक्शन खण्ड के मध्य चौड़ीकरण एवं 4/6 लेन फलस्वरूप 132 के.व्ही. देवास-चापड़ा लाइन के लोके. क्र. 11(4a) से 13 के मध्य विस्थापन / संशोधन कार्य, लंबाई 2x0.7 कि.मी., अनुमानित लागत- 42.19 लाख रु.

10. एमपीआरडीसी द्वारा देवास बायपास रोड के देवास-बरौठा जंक्शन से इंदौर जंक्शन खण्ड के मध्य चौड़ीकरण एवं 4/6 लेन फलस्वरूप आवश्यक निम्न कार्य:-

(i) 132 के.व्ही. देवास-बरौठा लाइन के लोके. क्र. 3 से 6 के मध्य विस्थापन / संशोधन कार्य, लंबाई 2x0.6 कि.मी., अनुमानित लागत-70.27 लाख रु.

(ii) 132 के.व्ही. उज्जैन - बी. एन. पी देवास लाइन के लोके. क्र. 106 से 108 के मध्य विस्थापन/संशोधन कार्य, लंबाई 1x0.7 कि.मी., अनुमानित लागत-28.95 लाख रु.

11. 220 के.व्ही. डीसीडीएस इंदौर-बड़नगर लाइन के लोके. क्र. 29 से 31 के मध्य एवं 132 के.ही. इंदौर-पीथमपुर लाइन के लोके. क्र. 25 से 30 के मध्य स्थित इंदौर पब्लिक स्कूल इंदौर के परिसर से बाहर करने हेतु दोनों लाइनों का संयुक्त मल्टी सर्किट टॉवर पर संशोधन/विस्थापन कार्य, लंबाई 2x1.0 (132 के.व्ही.) 2x0.21 (220 के.व्ही.) 4x0.32 (132 एवं 220 के.व्ही.). कि.मी., अनुमानित लागत-681.97 लाख रु.

12. केन्द्रीय लो. नि. वि. द्वारा भोपाल में सामाजिक न्यास एवं अधिकारिता मंत्रालय हेतु राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुर्नवास संस्थान के निर्माण के फलस्वरूप 132 के.व्ही. सिंगल सर्किट सिहोर-बैरगढ़ लाइन के लोके. क्र. 473 से 478 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, लंबाई 1x2.0 कि.मी., अनुमानित लागत-168.56 लाख रु.

13. 132 के.व्ही. उपकेन्द्र चंदेरी से ओ. आर. आर. रिव्हर पी. एम. यू. के लिप्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट को 18.75 एम.व्ही.ए. विद्युत आपूर्ति हेतु पर्पिंग स्टेशन कुनवारपुर तट चंदेरी तक 132 के.व्ही. डीसीडीएस का निर्माण कार्य लंबाई 1×5.1 कि.मी., अनुमानित लागत-794.7 लाख रु.

14. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारत माला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 148 मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेस हाइवे के निर्माण के फलस्वरूप आवश्यक निम्न कार्य:-

(i) 220 के.व्ही. डीसीडीएस कोटा-मोडक/भानपुरा लाइन का लोके क्र. 505 से 509 के मध्य विस्थापन/संशोधन कार्य, लंबाई 2×1.5 कि.मी., अनुमानित लागत-234.73 लाख रु.

(ii) 220 के.व्ही. डीसीडीएस भानपुरा-निपनिया/सुवासरा लाइन का लोके क्र. 490 से 496 के मध्य विस्थापन/संशोधन कार्य, लंबाई 2×2.3 (द्वितीय परिपथ) कि.मी., अनुमानित लागत-343.19 लाख रु.

(iii) 220 के.व्ही. डीसीडीएस भानपुरा-निपनिया/सुवासरा लाइन का लोके क्र. 447 से 457 के मध्य विस्थापन/संशोधन कार्य, लंबाई 2×3.4 कि.मी., अनुमानित लागत-516.41 लाख रु. ,

(iv) 132 के.व्ही. डीसीडीएस सुआसरा-गौंधीसागर/गौरैठ लाइन का लोके क्र. 171 से 176 के मध्य विस्थापन/संशोधन कार्य, लंबाई 2×1.7 कि.मी., अनुमानित लागत-150.17 लाख रु.

(v) 220 के.व्ही. डीसीडीएस भानपुरा/सुवासरा लीलो निपनिया लाइन का लोके क्र. 39 से 44 के मध्य विस्थापन/संशोधन कार्य, लंबाई 2×1.5 कि.मी., अनुमानित लागत-287.56 लाख रु.

(vi) 132 के.व्ही. डीसीडीएस आलोट-सितामऊ लाइन का लोके क्र. 110 से 113 के मध्य विस्थापन/संशोधन कार्य, लंबाई 2×1 कि.मी., अनुमानित लागत-127.32 लाख रु.

(vii) 220 के.व्ही. डीसीडीएस नागदा-नीमच/दालोदा लाइन का लोके क्र. 115 से 118 के मध्य विस्थापन/संशोधन कार्य, लंबाई 2×1.1 कि.मी., अनुमानित लागत-161.89 लाख रु.

(viii) 132 के.व्ही. एससी रतलाम-जावरा सर्किट-1 लाइन का लोके क्र. 85 से 90 के मध्य विस्थापन/संशोधन कार्य, लंबाई 1×1.2 कि.मी., अनुमानित लागत-115.28 लाख रु.

(ix) 132 के.व्ही. एससी रतलाम-जावरा सर्किट-2 लाइन का लोके क्र. 79 से 83 के मध्य विस्थापन/संशोधन कार्य, लंबाई 1×1.2 कि.मी., अनुमानित लागत-115.28 लाख रु.

(x) 220 के.व्ही. डीसीडीएस रतलाम-दालोदा लाइन का लोके क्र. 77 से 82 के मध्य विस्थापन/संशोधन कार्य, लंबाई 2×1.6 कि.मी., अनुमानित लागत-194.32 लाख रु.

(xi) 220 के.व्ही. नगरा-भैसाडावर (क्षेमा पावर) लाइन के लोके क्र. 27 से 29 के मध्य विस्थापन/संशोधन कार्य, लंबाई 2×0.7 कि.मी., अनुमानित लागत-125.89 लाख रु.

(xii) 132 के.व्ही. डीसीएसएस रतलाम-सैलाना लाइन का लोके क्र. 61 से 64 के मध्य विस्थापन/संशोधन कार्य, लंबाई 1×1 कि.मी., अनुमानित लागत-117.54 लाख रु.

(xiii) 132 के.व्ही. गांधीसागर-गौरैठ/सुवासरा डीसीडीएस लाइन को 220 के.व्ही. उपकेन्द्र भानपुरा में लीलो हेतु एफसीएफएस लाइन के लोके क्र. 30 से 35 के मध्य विस्थापन/संशोधन कार्य, लंबाई 4×1.6 कि.मी., अनुमानित लागत-404.02 लाख रु.

(ivx) 220 के.व्ही. डीसीडीएस गूजरखेड़ी (रम्स)-मन्दसौर (सीतामऊ) लाइन का लोके क्र. 15/22 से 16/1 के मध्य विस्थापन/संशोधन कार्य, लंबाई 2×1.2 कि.मी., अनुमानित लागत-253.71 लाख रु.

(vx) 400 के.व्ही. डीसीडीएस नागदा-खाचरोद जावरा लाइन का लोके क्र. 41/1 से 41/4 के मध्य विस्थापन/संशोधन कार्य, लंबाई 2×1.1 कि.मी., अनुमानित लागत-519.38 लाख रु.

(vix) 132 के.व्ही. डीसीडीएस नागदा-खाचरोद जावरा लाइन का लोके क्र. 21/2 से 22/2 के मध्य विस्थापन/संशोधन कार्य, लंबाई 1×2.1 कि.मी., अनुमानित लागत-210.67 लाख रु.

(viix) 220 के.व्ही. डीसीडीएस सैलाना (400 के.व्ही. उपकेन्द्र)- रतलाम (220 के.व्ही. स्विचिंग उपकेन्द्र नगरा) लाइन का लोके क्र. 26/3 से 26/8 के मध्य विस्थापन/संशोधन कार्य, लंबाई 2×1.5 कि.मी., अनुमानित लागत-201.45 लाख रु.

(viii) 220 के.व्ही. डीसीडीएस मन्दसौर (सीतामऊ)- निपनिया लाइन का लोके क्र. 10/5 से 11/0 के मध्य विस्थापन/संशोधन कार्य, लंबाई 2×1.7 कि.मी., अनुमानित लागत-297.09 लाख रु.

(ix) 220 के.व्ही. डीसीडीएस मन्दसौर (सीतामऊ)- निपनिया लाइन का लोके क्र. 27/5 से 27/10 के मध्य विस्थापन/संशोधन कार्य, लंबाई 2×1.7 कि.मी., अनुमानित लागत-260.18 लाख रु.

(IV) कुल अनुमानित लागत :-

उपरोक्त कार्यों की कुल अनुमानित लागत लगभग रु. 216.24 करोड़ है।

(3) टॉवर, खंभे, तार आदि लगाने का अधिकार :

उपरोक्त स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत प्रदत्त सभी अधिकारों एवं उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये अनुज्ञप्तिधारियों का संकर्म नियम 2006 के अधिकारों का भी प्रयोग करेगी। विद्युत के पारेषण एवं वितरण के लिए अथवा टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक सिग्नलों के पारेषण हेतु टॉवर, खंभे, तार, दीवार ब्रेकेट, स्टे यंत्रों और उपकरणों को लगाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) एवं उपरोक्त वर्णित नियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को वे सभी अधिकार हैं एवं उनका वह उपयोग करेगी जो भारतीय तार यंत्र अधिनियम 1885 (1885 का 13) के तहत भारतीय तार यंत्र प्राधिकरण को रखरखाव अथवा स्थापित या भविष्य में स्थापित किये जाने वाले तार यंत्र के संबंध में प्राप्त हैं।

(4) एतद् द्वारा मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा स्वीकृत उपरोक्त पारेषण परियोजनायें राजपत्र एवं समाचारपत्रों में प्रकाशन द्वारा जनता को अधिसूचित की जाती हैं।

(1081-बी.)

एफ. डी. ठाकुर,

मुख्य अभियंता (मा. संसा. एवं प्रशा.),
मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड,
शक्ति भवन, रामपुर-जबलपुर.

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, भारती परनामी W/O मदनलाल गुप्ता, आयु 51 वर्ष, पता-7/4 वार्ड नं. 15 रामर्मदिर मार्ग खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.) यह बयान करती हूँ कि मैंने अपने परनामी उपनाम को परिवर्तित कर गुप्ता कर लिया है। अब से मुझे भारती परनामी के स्थान पर भारती गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

पुराना नाम :

(भारती परनामी)

(1057-बी.)

नया नाम :

(भारती गुप्ता)

7/4 वार्ड नं. 15 रामर्मदिर मार्ग खातेगांव,
जिला देवास (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I, Kumari Priyanshu Agrawal have changed my name from Priyanshu Agrawal to Aaruhi Agrawal by affidavit sworn before the notary public Satna on 21-01-2020. Henceforth, I shall be known as Aaruhi Agrawal in future for all purposes.

Old Name :

(PRIYANSHU AGRAWAL)

(1058-B.)

New Name :

(AARUHI AGRAWAL)

D/o Ram Niwas Agrawal,
R/o Beside Mataah House,
Near Dheerendra Gas Agency,
Bardari Road, Muktiyarganj,
Satna (M.P.) 485001.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे तीन पुत्र सुरेन्द्र सिंह राठौर, अमृत लाल सिंह राठौर, महादेव सिंह राठौर हैं। इनके शैक्षणिक दस्तावेजों में एवं पेनकार्ड में त्रुटिवश मेरा घरू नाम पुष्पराज सिंह राठौर अंकित हो गया है। जबकि मेरे सभी शासकीय दस्तावेजों जैसे आधारकार्ड, वोटरकार्ड, पेनकार्ड, ऋण पुस्तिका में मेरा नाम कन्छेदी सिंह राठौर अंकित है जो कि सत्य व सही है। उक्त दोनों ही नाम मेरे हैं। भविष्य में मुझे कन्छेदी सिंह राठौर के नाम से जाना एवं मेरे तीनों बच्चों के दस्तावेजों में मेरा नाम सुधार कर पुष्पराज सिंह राठौर के स्थान पर कन्छेदी सिंह राठौर अंकित/दर्ज किया जावे।

पुराना नाम :

(पुष्पराज सिंह राठौर)

(1059-बी.)

नया नाम :

(कन्छेदी सिंह राठौर)

निवासी-ग्राम ददरी, पो. महरोई,
जिला उमरिया (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, मोहम्मद शाकिर कासमी पिता श्री इनामुल्लाह, आयु 53 वर्ष, निवासी तालीमूल कुरान मदरसे के पास वार्ड नंबर 5 बालागंज, होशंगाबाद शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे विभिन्न दस्तावेजों में मेरे नाम की स्पेलिंग अलग-अलग दर्ज है। मेरा पुराना व वास्तविक नाम हिंदी में मोहम्मद शाकिर उर्फ मो. शाकिर कासमी एवं अंग्रेजी में MOHAMMAD SHAKIR URF MO. SHAKIK QASMI है, जबकि दस्तावेजों में मोहम्मद की पूरी स्पेलिंग के स्थान पर मो. और शाकिर के स्थान पर साकिर लिखा है। अंग्रेजी में MOHAMMAD के स्थान पर MO., MD., MOHD. OR QASMI के स्थान पर KASMI लिखा है एवं किसी नाम में मोहम्मद नहीं लगा है। मैं अपना पूरा नाम जो कि अधूरा है उसे स्पेलिंग सही कराकर पूरा नाम हिंदी में मोहम्मद शाकिर कासमी और अंग्रेजी में MOHAMMAD SHAKIR QASMI दर्ज कराना चाहता हूँ जो कि मेरा सही वास्तविक नाम है।

पुराना नाम :

(मोहम्मद शाकिर उर्फ मो. शाकिर कासमी)

(MOHAMMAD SHAKIR

URF MO. SHAKIK QASMI)

(1060-बी.)

नया नाम :

(मोहम्मद शाकिर कासमी)

(MOHAMMAD SHAKIK QASMI)

पिता-श्री इनामुल्लाह.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम सोहन कुंवर सोलंकी पिता प्रताप सिंह सोलंकी था, मेरे सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम सोहन कुंवर सोलंकी पिता प्रताप सिंह सोलंकी है। जो अब विवाह पश्चात् बदलकर मेरा नाम सभी शासकीय दस्तावेजों में सोनल तंवर पति रोहित सिंह तंवर हो गया है। अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(सोहन कुंवर सोलंकी)

पिता-प्रताप सिंह सोलंकी.

(1061-बी.)

नया नाम :

(सोनल तंवर)

पति-रोहित सिंह तंवर,

पता- F-84, लवकुश आवास विहार,

सुखलिया, इन्दौर (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

मैं, सन्तोष जोशी पुत्र श्री परमानन्द जोशी सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा बोलता नाम सन्तोष शर्मा था। जो कि मेरे भारतीय जीवन बीमा निगम पॉलिसी क्र. 201244209 एवं शैक्षणिक प्रमाण-पत्र में अंकित है। जबकि वर्तमान में मुझे सन्तोष जोशी पुत्र श्री परमानन्द जोशी के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है और भविष्य में भी मैं इसी नाम सन्तोष जोशी के नाम से हस्ताक्षर करता हूँ। अतः मेरी बीमा पॉलिसी क्र. 201244209 एवं शैक्षणिक प्रमाण-पत्र में मेरा नाम सन्तोष शर्मा के स्थान पर सन्तोष जोशी लिखा एवं पढ़ा जाये। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम :

(सन्तोष शर्मा)

(1062-बी.)

नया नाम :

(सन्तोष जोशी)

पुत्र-श्री परमानन्द जोशी,

पता-बल्ला का डेरा डबरा,

जिला ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, लोकेश सेन पुत्र श्री प्रेमनारायण सेन सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम लोकेश सेन पुत्र श्री प्रेमनारायण सेन तथा मेरी जन्म दिनांक 23-01-1985 है जो मेरे शासकीय प्रपत्र ड्रायविंग लायसेन्स/आधारकार्ड इत्यादि में अंकित है जबकि गलती से मेरे पेनकार्ड में मेरा नाम लोकेश सिंह पुत्र श्री प्रेमा सविता अंकित हो गया है, जो कि गलत है जबकि वर्तमान में लोकेश सेन पुत्र श्री प्रेमनारायण सेन के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ। अतः मेरे पेनकार्ड में मेरा नाम लोकेश सिंह पुत्र श्री प्रेमा सविता के स्थान पर सही नाम लोकेश सेन पुत्र श्री प्रेमनारायण सेन जन्म दिनांक 23-01-1985 लिखा एवं पढ़ा जावे। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम :

(लोकेश सिंह)

पुत्र-श्री प्रेमा सविता.

(1063-बी.)

नया नाम :

(लोकेश सेन)

पुत्र-श्री प्रेमनारायण सेन,

पता-राम नगर गली नं. 3, नाका चन्द्रवदनी,

ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, अनम सैयद पति श्री सैयद ज़ामिन अली पुत्री वहीदुल्ला खान, आयु 26 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 13 अफजल कॉलोनी बाबई रोड, होशंगाबाद की निवासी हूँ, मेरा पुराना नाम हिंदी में अनाम खान उर्फ अनम सैयद है, मेरे दस्तावेज में मेरा नाम अंग्रेजी में ANAM KHAN तथा ANAM SYED है। आज दिनांक से मेरा सही व वास्तविक नाम हिंदी में अनम सैयद और अंग्रेजी में ANAM SYED मान्य किया जाए, वहाँ पिता का नाम वहीदुल्ला खान लिखा है जो कि गलत है। वास्तविका सही नाम वहीदुल्ला खान है।

पुराना नाम :

(अनाम खान उर्फ अनम सैयद)
(ANAM KHAN तथा ANAM SYED)

पिता का नाम वहीदुल्ला खान,
(1064-बी.)

नया नाम :

(अनम सैयद)
(ANAM SYED)
पति-श्री सैयद ज़ामिन अली,
पिता का नाम वहीदुल्ला खान.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा की बीमा पॉलिसी में नाम ऊषा तोमर पत्नी प्रमोद तोमर दर्ज है। जबकि मेरी पक्षकारा के आधारकार्ड, पैनकार्ड, बैंक पासबुक नाम ऊषा नामदेव पत्नी श्री प्रमोद नामदेव अंकित है तथा वोटर कार्ड में ऊषा पत्नी प्रमोद दर्ज है। उक्त नाम मेरी पक्षकारा के ही हैं जोकि सत्य व सही है भविष्य में मेरी पक्षकारा को श्रीमती ऊषा नामदेव पत्नी श्री प्रमोद नामदेव के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावेगा।

(1065-बी.)

प्रेषक,
प्रदीप कुमार खोईया,
(एडवोकेट)
ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी दस्वीं, बारहवीं की शैक्षणिक दस्तावेजों में नाम नम्रता बिजौरिया पुत्री श्री कुन्दन लाल बिजौरिया अंकित है तथा मेरी स्नातक अंकसूची एवं प्रोवीजनल डिग्री एवं जाति प्रमाण-पत्र में नाम नम्रता बिजौरिया पुत्री श्री के. एल. बिजौरिया NAMRATA BIJORIA D/o K. L BIJORIA अंकित है। उक्त नाम मेरे ही हैं जोकि सत्य व सही हैं। भविष्य में मुझे नम्रता बिजौरिया पुत्री श्री कुन्दन लाल बिजौरिया (NAMRATA BIJORIA D/o KUNDAN LAL BIJORIA) के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावेगा।

(1066-बी.)

पुराना नाम :
(नम्रता बिजौरिया)
पुत्री के. एल बिजौरिया,
पता-171, कैलाश नगर, सिटी सेन्टर,
ग्वालियर (म.प्र.).

नया नाम :
(नम्रता बिजौरिया)
पुत्री श्री कुन्दन लाल बिजौरिया,
पता-171, कैलाश नगर, सिटी सेन्टर,
ग्वालियर (म.प्र.).

आम सूचना

भागीदारी फर्म अधिनियम की धारा-72 के अंतर्गत सूचना यह है कि M/s S.V. Builders & Developers जिसका पंजीयन क्रमांक-01/21/01/0293/17, दिनांक 31 मार्च, 2017 से पंजीयत है। इस भागीदारी फर्म का विघटन दिनांक 31-10-2019 से प्रभावित रहेगा।

M/s S.V. Builders & Developers,
वास्ते-संदीप सेवईवार,
(भागीदार).

(1067-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को इस आम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि एक फर्म मैसर्स आर. डी. फूड एण्ड ब्रैबरीज फर्म रजिस्ट्रेशन क्रमांक 01/01/01/0240/19, सन् 2019-2020, दिनांक 08-10-2019 का कार्यालय एवं व्यवसाय स्थल भूखण्ड क्रमांक 15 एवं 16 औद्योगिक क्षेत्र अचारपुरा, भोपाल है का संचालन तीन भागीदारों क्रमांक 1. राजेश दुबे आत्मज श्री रामर्हष दुबे, निवासी ई-4/401/अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.), भागीदार क्रमांक 2 मनोज कुमार जैन, आत्मज श्री लाभमल जैन एवं भागीदार क्रमांक 3 श्रीमती शीमा जैन पत्नी श्री मनोज कुमार जैन,

दोनों निवासीगण ए-732 न्यू अशोका गार्डन चन्द्र स्वीट्स के पास अशोका गार्डन, भोपाल (म.प्र.) द्वारा 12-09-2019 से संचालित किया जा रहा है। जिसमें भागीदारों के हिस्से का निम्नानुसार प्रतिशत था। प्रथम भागीदार 40 प्रतिशत दूसरे भागीदार का हिस्सा 40 प्रतिशत एवं तीसरे भागीदार का हिस्सा 20 प्रतिशत था। जिसको संशोधित भागीदारी विलेख दिनांक 14-01-2020 के आधार पर प्रथम भागीदार का हिस्सा 51 प्रतिशत दूसरे भागीदार का हिस्सा 25 प्रतिशत एवं तीसरे भागीदार का हिस्सा 24 प्रतिशत हो गया। अब उपरोक्त संशोधित प्रतिशत के अनुसार तीनों भागीदारों का हिस्सा उपरोक्त फर्म में रहेगा।

(1068-बी.)

द्वारा-राजेश दुबे,

(भागीदार)।

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि गार्गी डबलपर्स, दर्पण कॉलोनी, ग्वालियर पंजीयन क्रमांक 02/42/01/0212/19, दिनांक 25-10-2019 में निम्नलिखित बदलाव हुए हैं:-

1. श्री गजेन्द्र पांडे पुत्र श्री एम. एल. पांडे, फर्म से दिनांक 01-06-2019 से अलग हो गये हैं।
2. श्रीमती विनोता जैन पत्नि श्री अभिषेक जैन, शिव प्रताप सिंह कुशवाह पुत्र श्री कृष्ण पाल सिंह कुशवाह एवं विकल्प राठौर पुत्र श्री विजय सिंह राठौर दिनांक 01-06-2019 से फर्म में शामिल हो गये हैं।
3. फर्म का पता दिनांक 01-06-2019 से जी-2, राज-राजेश्वरी अपार्टमेंट, एस. पी. ऑफिस के पीछे, पटेल नगर, सिटी सेन्टर, ग्वालियर 474011 हो गया है।

For Gargi Developers,

अभिषेक जैन,

(पार्टनर)

103, संकल्प अपार्टमेंट गर्म सड़क,

मुरार, ग्वालियर 474006.

(1069-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स सोधिया सॉफ्टवेयर टेक्नालॉजी, पता-बाजार बार्ड गढ़कोटा, तहसील गढ़कोटा, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक 06/09/05/00029/09, दिनांक 27-07-2009 जिसमें भागीदार श्री अनुराग सोधिया, श्री जिनेश कुमार सोधिया, श्री सुरेश कुमार सोधिया, श्रीमती माया सोधिया, श्रीमती क्रान्ती बाई सोधिया थे। जिसमें से दिनांक 31-12-2019 को भागीदार श्री जिनेश कुमार सोधिया, श्री सुरेश कुमार सोधिया, श्रीमती माया सोधिया, श्रीमती क्रान्ती बाई सोधिया अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 31-12-2019 से श्रीमती शिल्पी सोधिया पत्नी श्री अनुराग सोधिया भागीदार के रूप में समिलित हो रहे हैं। वर्तमान में फर्म में दो साझेदार श्री अनुराग सोधिया पुत्र श्री जिनेश कुमार सोधिया एवं श्रीमती शिल्पी सोधिया पत्नी श्री अनुराग सोधिया भागीदार के रूप में कार्य का संचालन करते रहेंगे। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

मैसर्स सोधिया सॉफ्टवेयर टेक्नालॉजी,

अनुराग सोधिया,

(भागीदार)।

(1070-बी.)

PUBLIC NOTICE

Notice to public is hereby given that Shri Anand Singh Gautam was one of the partner of firm M/s Aaditya Chemicals, Part of 226, Dewas Road Industrial Area, Nagjheri, Ujjain 456010 (M.P.) Registration No. 07/33/01/0041/16, dated 08-08-2016.

Firms partnership was reconstituted and Shri Anand Singh Gautam S/o Shri Kailash Singh Gautam has resigned from the firm with effect from 25-10-2018 and w.e.f. on same date on the terms & conditions mentioned therein on the stamp paper.

Rajendra Kumar Jain S/o Shri Chainroop Jain has joined the firm from 25-10-2018 and w.e.f. on same.

For-Aaditya Chemicals,
HARSHVARDHAN JAIN,

(1071-B.)

(Partner).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स रिखबदास राजेन्द्र कुमार, पता बड़ा बाजार, सागर (म.प्र.) दिनांक 01-04-1966 को निष्पादित कर दिनांक 28-02-1968 को रजिस्टर्ड की गई जिसका रजि. नं. 2189/67-68 है। उक्त फर्म में प्रथम भागीदार रिखबदास सेठ

पुत्र भैरोबख्स, द्वातीय भागीदार राजेन्द्र कुमार मुणोत पुत्र सेठ रिखबदास, तृतीय भागीदार सुरेन्द्र कुमार मुणोत पुत्र सेठ रिखबदास, चतुर्थ विजय कुमार मुणोत पुत्र सेठ रिखबदास सभी निवासी बड़ा बाजार, सागर मध्यप्रदेश उपरोक्त फर्म में शामिल हैं। नवीन भागीदारी पत्रक दिनांक 14-08-1981 में प्रथम भागीदार सेठ रिखबदास पुत्र स्व. श्री भैरोबख्स की दिनांक 21-07-1981 में मृत्यु हो जाने के कारण उनकी धर्मपत्नी श्रीमती फूलकुंवर बाई को शामिल किया गया। नवीन भागीदारी पत्रक दिनांक 14-12-1989 में श्रीमती फूलकुंवर बाई पति स्व. सेठ रिखबदास की दिनांक 10-10-1989 में मृत्यु हो जाने के कारण तीन नए पार्टनर क्रमशः: (1) श्रीमती रेखा पति डॉ विजय कुमार मुणोत, (2) चंद्रकला पति श्री सुरेन्द्र कुमार मुणोत, (3) श्रीमती मधु पति श्री राजेन्द्र कुमार मुणोत सभी निवासी बड़ा सागर को शामिल किया गया है। नवीन भागीदारी पत्रक दिनांक 01-04-1992, 01-04-1997 एवं 01-04-2002 में उपरोक्त पार्टनरों में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। सभी पार्टनर भागीदारी पत्रक दिनांक 14-12-1989 के अनुसार यथावत हैं। नवीन भागीदारी पत्रक दिनांक 30-03-2012 में पार्टनर स्व. श्री सुरेन्द्र कुमार मुणोत पुत्र सेठ रिखबदास की मृत्यु दिनांक 28-01-2012 को हो गई है। इसके साथ श्रीमती मधु पति श्री राजेन्द्र कुमार मुणोत एवं श्रीमती रेखा पति डॉ विजय कुमार मुणोत दोनों निवासी बड़ा बाजार, सागर स्वेच्छावश अपने स्वयं के निजी कारणों से रिटायर हो गए, अतः जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह अपनी आपत्ति 15 दिवस के भीतर दर्ज करावें। आम जनता को सूचनार्थ एवं प्रकाशित।

दुष्प्रत्यक्ष शर्मा,

(एडव्होकेट)

एम. आई. जी. 112, गौर नगर,

मकरोनिया, सागर (म.प्र.).

(1073-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स दि गंगवाल इण्डस्ट्रीज स्थित फालका बाजार, लश्कर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक 241, दिनांक 25-04-1978 है। जिसमें दिनांक 25-07-2019 को स्व. श्रीमती रेणू गंगवाल पत्नी श्री प्रशांत कुमार गंगवाल, निवासी फालका बाजार, लश्कर, ग्वालियर मध्यप्रदेश का स्वर्गवास हो जाने से फर्म से पृथक् हो गई हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

फर्म-मैसर्स दि गंगवाल इण्डस्ट्रीज,

वीरेन्द्र कुमार गंगवाल,

(भागीदार)

फालका बाजार, लश्कर, ग्वालियर.

(1072-बी.)

आम सूचना

(भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के तहत)

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-61(1) के अधीन यह सूचना दी जाती है कि साझेदारी फर्म का नाम एस. एस. एस. एसोसिएट, पता-मैन रोड एस. बी. आई. कॉलोनी, 101 तिली वार्ड, सागर मध्यप्रदेश पिनकोड-470002 की रचना में निम्नलिखित परिवर्तन किये गये हैं—

सम्मिलित होने वाले साझेदारी का नाम, पता व सम्मिलित होने की दिनांक	निकलने वाले साझेदारी का नाम पता व साझेदारी त्यागने की दिनांक
श्रीमती नेहा साहू संत कबीर वार्ड मछरयाई, सागर (म.प्र.). दिनांक 09-01-2020.	श्री रामकुमार साहू एल. आई. जी. 27, सोमनाथपुरम् बाघराज, वार्ड सागर (म.प्र.). दिनांक 09-01-2020.

SSS Associates,

सुशील शर्मा,

(Partner).

(1074-बी.)

PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s. CENTAUR POWERS AND SOLAR ENERGY, a registered partnership firm vides registration no 01/01/01/0104/17, has made following amendments in the deed of partnership on 21-09-2019.

1. Previous place of other business: Factory: - J-255, Ricco Growth Center, Ricco Industrial Area, Dholpur-328001, Rajasthan.

New Place of business:-

Branch office:- 08, 1st Floor, Uma Commercial Complex, Nageshwar Nagar, New Jail Road, Bhopal-462038, M.P.

Workshop:- 08, Ground Floor, Uma Commercial Complex, Nageshwar Nagar, New Jail Road, Bhopal- 462038, M.P.

2. Change in Division of Profit/Loss.

Partner's Name	Share in Profit/Loss
1. Manish Upadhyay	45%
2. Samarth Mudgal	45%
3. Sunil Kumar	10%

3. Change in Remuneration of working partners:-

The Remuneration as ascertained in accordance with provisions of this deed shall be shared as per mutually decided by the partners.

For-Centaur Powers And Solar Engergy,
मनीष उपाध्याय, समर्थ मुदगल, सुनील कुमार
(Partner).

A-53, Dwarikadham, New Jail Road,
Bhopal-462038 M.P.

(1075-B.)

94, 1st Floor, Vishwesariya Nagar,
Triveni Nagar, Circle Jaipur-302018, Rajasthan.

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स मॉडन गैस एजेंसी, पता-नियर पाताली हनुमान, तानसेन रोड, हजीरा, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00191/11, दिनांक 18-10-2011, दिनांक 18-10-2011 को पंजीकृत हुई फर्म का विघटन किया जाता है। जिसका विवरण निम्नानुसार है। (1) भागीदार मनोज कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम कृष्ण गुप्ता, (2) भागीदार विजय लक्ष्मी डोगरा पत्नी स्व. श्री ए. के. डोगरा, (3) भागीदार रिपु डोगरा पुत्र स्व. ए. के. डोगरा, (4) भागीदार कृति गुप्ता पत्नी श्री राजीव गुप्ता अपनी आपसी सहमति से दिनांक 21-12-2019 को फर्म विघटन कर दिया गया है। फर्म से विघटित भागीदारों द्वारा अपने समस्त निवेशों को अहरित कर लिया है। अतः दिनांक 21-12-2019 से पृथक् हुए भागीदारों को किसी भी प्रकार का कोई भी लेन-देन शेष नहीं है। अब श्री मनोज कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम कृष्ण गुप्ता उक्त फर्म को प्रोपराइटर के रूप में संचालन करेंगे। उक्त फर्म से पृथक् हुए भागीदारों को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

मैसर्स मॉडन गैस एजेंसी,

मनोज कुमार गुप्ता,

(भागीदार)

पता-नियर पाताली हनुमान,

तानसेन रोड, हजीरा, ग्वालियर (म.प्र.).

(1076-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स प्रतिक सिंडीकेट फर्म जिसका पता-111, सेंटर पॉइंट सपना-संगीता रोड, इन्दौर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0205/17, दिनांक 31-01-2017 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है। जिसके भागीदार 1. श्री अरुण मेहता पिता स्व. श्री बादलचंद मेहता, 2. श्री अभिषेक ओस्तवाल पिता श्री मांगीलाल ओस्तवाल थे। तत्पश्चात् दिनांक 01-04-2010 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री शैलश वर्मा पिता श्री रामस्वरूप वर्मा एवं 2. श्री अतुल कुमार तिवारी पिता श्री राजेन्द्र तिवारी भागीदारी फर्म में सम्मिलित हुए तत्पश्चात् दिनांक 15-03-2018 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री अरविन्द कुमार मेहता पिता स्व. श्री जुगराज मेहता भागीदारी फर्म में सम्मिलित हुए तत्पश्चात् दिनांक 20-03-2018 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री अभिषेक ओस्तवाल पिता श्री मांगीलाल ओस्तवाल, 2. श्री शैलश वर्मा पिता श्री रामस्वरूप वर्मा एवं 3. श्री अतुल कुमार तिवारी पिता श्री राजेन्द्र तिवारी भागीदारी फर्म मैसर्स प्रतिक सिंडीकेट से पृथक् हो गये हैं। भागीदारों ने फर्म मैसर्स प्रतिक सिंडीकेट से अपना पूर्ण हिसाब-किताब कर लिया है तथा कुछ भी लेना-देना शेष नहीं है।

तत्पश्चात् दिनांक 02-05-2019 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. मे. मार्ग रियलटेक एल. एल. पी. तर्फे भागीदार श्री आदर्श मेहता भागीदारी फर्म मेसर्स प्रदीप एण्ड क. में सम्मिलित हो गए हैं तथा फर्म का पंजीकृत, पता यु. जी. 21, बी. सी. एम. हाइट्स बॉम्बे हॉस्पिटल के पास इन्दौर हो गया है. यह विदित हो.

(1077-बी.)

तर्फे-

मेसर्स प्रतिक सिंडीकेट,

1. अरुण मेहता, 2. अरविन्द कुमार मेहता,
3. मे. मार्ग रियलटेक एल. एल. पी.,

(भागीदार).

PUBLIC NOTICE**(U/S 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932)**

Notice is hereby given that the firms " M/s. R. K. Packaging" of Pitagara Badnawar Registered vide Registration No. 03/28/02/0228/20 (2019-20), date of firm creation 15-06-2017 undergone the following changes:-

1. That Shri Nikhil Chawda S/o Ashok Chawda has joined the firm and Shri Narayan Patidar S/o Shri Nandram Patidar has desire to retire from the partnership firm w.e.f. 14-01-2020.

M/s. R.K. Packaging,

ASHOK KUMAR PATIDAR,

(Partner)

246/1/2, Survey No. Mhow Neemuch Road,
(1078-B.) Pitgara Pin 454660, Badnawar, Dist. Dhar.

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स प्रदीप एण्ड क. फर्म जिसका पता-यु जी 21, पी. यु. 4 ए 5, बी. सी. एम. हाइट्स, इन्दौर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0206/17, दिनांक 31-01-2017 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्री संदीप कुमार चोरडिया पिता श्री धरमचंद चोरडिया, 2. श्री लोकेश कुमार कांकरिया पिता श्री अनूपचन्द कांकरिया, 3. श्री अरुण मेहता पिता स्व. श्री बादलचंद मेहता, 4. श्री अरविन्द कुमार मेहता पिता स्व. श्री जुगराज मेहता, 5. श्री नवीन कुमार मेहता पिता स्व. श्री जुगराज मेहता एवं 6. श्री राजेश कुमार मेहता पिता स्व. श्री बालचंद मेहता थे. तत्पश्चात् दिनांक 01-04-2010 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री शैलश वर्मा पिता श्री रामस्वरूप वर्मा एवं 2. श्री अतुल कुमार तिवारी पिता श्री राजेन्द्र तिवारी भागीदारी फर्म में सम्मिलित हुए तथा 1. श्री संदीप कुमार चोरडिया पिता श्री धरमचंद चोरडिया, 2. श्री लोकेश कुमार कांकरिया पिता श्री अनूपचन्द कांकरिया भागीदारी फर्म मेसर्स प्रदीप एण्ड क. से पृथक् हो गये हैं भागीदारों ने फर्म मेसर्स प्रदीप एण्ड क. से अपना पूर्ण हिसाब-किताब कर लिया है तथा कुछ भी लेना-देना शेष नहीं है. तत्पश्चात् दिनांक 02-05-2019 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. मे. मार्ग रियलटेक एल. एल. पी. तर्फे भागीदार श्री आदर्श मेहता भागीदारी फर्म मेसर्स प्रदीप एण्ड क. में सम्मिलित हो गए हैं. यह विदित हो.

(1079-बी.)

तर्फे-

मेसर्स प्रदीप एण्ड क.,

1. अरुण मेहता, 2. अरविन्द कुमार मेहता,
3. नवीन कुमार मेहता, 4. राजेश कुमार मेहता,
5. शैलश वर्मा, 6. अतुल कुमार तिवारी,
7. मे. मार्ग रियलटेक एल. एल. पी.,

(भागीदार).

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स प्रयास इंटरप्राइजेज फर्म जिसका पता-28, कौशलयापुरी चितावद रोड, इन्दौर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0201/17, दिनांक 25-01-2017 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्री अरविन्द कुमार मेहता पिता स्व. श्री जुगराज मेहता, 2. श्री लोकेश कांकरिया पिता श्री अनूपचंद कांकरिया थे. तत्पश्चात् दिनांक 01-04-2010 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री शैलश वर्मा पिता श्री रामस्वरूप वर्मा, 2. श्री अतुल कुमार तिवारी पिता श्री राजेन्द्र तिवारी, 3. श्री तुषार शर्मा पिता श्री राधेश्याम शर्मा एवं 4. श्रीमति सगोरिका शर्मा पति श्री तुषार शर्मा भागीदारी फर्म में सम्मिलित हुए तत्पश्चात् दिनांक 01-01-2015 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री अरुण कुमार मेहता पिता स्व. श्री बादलचंद मेहता भागीदारी फर्म में सम्मिलित हुए तथा 1. श्री लोकेश कांकरिया पिता श्री अनूपचंद कांकरिया, 2. श्री शैलश वर्मा पिता श्री रामस्वरूप शर्मा, 3. श्री अतुल कुमार तिवारी पिता श्री राजेन्द्र तिवारी, 4. श्री तुषार शर्मा

पिता श्री राधेश्याम शर्मा एवं 5. श्रीमति सगोरिका शर्मा पति श्री तुषार शर्मा भागीदारी फर्म मेसर्स प्रयास इंटरप्राइजेज से पृथक् हो गये हैं। भागीदारों ने फर्म मेसर्स प्रयास इंटरप्राइजेज से अपना पूर्ण हिसाब किताब कर लिया है तथा कुछ भी लेना-देना शेष नहीं है। तत्पश्चात् दिनांक 02-05-2019 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. मे. मार्ग रियलटेक एल. एल. पी. तर्फे भागीदार श्री आदर्श मेहता भागीदारी फर्म मेसर्स प्रदीप एण्ड क. में सम्मिलित हो गए हैं तथा फर्म का पंजीकृत पता यु. जी. 21, बी. सी. एम. हाइट्स बॉम्बे हॉस्पिटल के पास इंदौर हो गया है। यह विदित हो।

तर्फे-

मेसर्स प्रयास इंटरप्राइजेज,

1. अरुण मेहता, 2. अरविन्द कुमार मेहता,

3. मे. मार्ग रियलटेक एल. एल. पी.,

(भागीदार).

(1080-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, अनुविभाग-पुनासा, जिला खण्डवा
प्रक्र. /बी-113(1)/2019-20.

दिनांक 17 जनवरी, 2020 को जारी

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री धनश्याम पिता रामलाल सेजवाल, निवासी ग्राम नरलाय, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा द्वारा “श्री रेवा गुर्जर न्यास, ग्राम नरलाय”, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा का पंजीयन न्यास के रूप में कराये जाने हेतु मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 के तहत् आवेदन-पत्र पेश कर उक्त ट्रस्ट के पंजीयन हेतु निवेदन किया गया। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 31 जनवरी, 2020 को विचार किया जायेगा।

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है। समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम : “श्री रेवा गुर्जर समाज न्यास, ग्राम नरलाय”,
तहसील पुनासा, जिला खण्डवा।

पता : श्री रेवा गुर्जर समाज न्यास, ग्राम नरलाय,
तहसील पुनासा, जिला खण्डवा।

अनुसूची “अ”

चल संपत्ति : 5000/- रुपये नगद।

अनुसूची “ब”

अचल संपत्ति : निरंक

ममता खेडे,

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक।

(197)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, अधिकारी डॉ अम्बेडकर नगर, महू, जिला इन्दौर
महू, दिनांक 28 जनवरी, 2020

प्रारूप-तृतीय

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत]

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक डॉ. अम्बेडकर नगर, महू, जिला इन्दौर के समक्ष

यहकि आवेदक प्रबंधक “श्री जय गोविन्द गोपीनाथ चैरिटी ट्रस्ट” का लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है। एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 28 फरवरी, 2020 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसार के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम व पता व लोक न्यास की चल-अचल सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम : जय गोविन्द गोपीनाथ चैरिटी ट्रस्ट
2. चल सम्पत्ति : रुपये 5, 98,626.00
3. अचल सम्पत्ति : बगीचा नं. 49 सर्वे नं. 326 ग्राम गुजरखेड़ा
स्थित भवन क्षेत्रफल 9.42 एकड़।

अंशुल गुप्ता,

(198)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वैष्ठित हो गई हैं:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन	परिसमापन
		क्रमांक व दिनांक	क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	साई भगत गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	365/27-11-2013	72/10-01-2020
2.	अलंकार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	251/27-08-1996	72/10-01-2020
3.	भारतेन्दु गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	181/16-09-1991	72/10-01-2020
4.	दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खेरवाया	426/20-12-2012	72/10-01-2020
5.	सदाशिव प्रा. उप. सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर	674/28-03-2017	72/10-01-2020
6.	नवनीत महिला प्रा. उप. सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर	480/23-01-2015	72/10-01-2020
7.	माँ पीताम्बरा सीलाई उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	400/26-11-2007	72/10-01-2020
8.	माँ पीताम्बरा गृह उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	602/04-10-2016	72/10-01-2020
9.	तानसेन फिल्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	12/09-02-1984	72/10-01-2020
10.	शोसल केयर माइको फाईनेस सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	400/26-11-2007	72/10-01-2020
11.	दि टेलीफोन साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	469/09-09-2015	72/10-01-2020
12.	श्री बालाजी क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	641/28-01-2017	72/10-01-2020

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 बजे से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंतवारे से वर्चित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तिकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां, डेड स्टाक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टाक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां, समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दशाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

(199)

वाई. पी. श्रीवास्तव,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक।

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला शिवपुरी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमाप नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
			3
1	2	3	4
1.	धन्वंतरी वनोषधि क्रय-विक्रय सह. संस्था मर्या., शिवपुरी	779/04-05-2017	1565/03-09-2019
2.	आदर्श प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., शिवपुरी	145/30-12-2007	1567/03-09-2019
3.	श्रमिक वांस उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भटनावर	84/10-10-2007	2433/11-12-2019
4.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बामोर डामरोन	537/03-05-2007	2032/19-11-2019
5.	इंदिरा प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., शिवपुरी	799/05-05-2017	2027/19-11-2019
6.	विवेकानन्द क्रय-विक्रय एवं सामग्री प्रदाय सह. संस्था मर्या., शिवपुरी	800/05-05-2017	2026/19-11-2019
7.	तात्या टोपे प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., शिवपुरी	794/05-05-2017	2025/19-11-2019
8.	नवीन बुनकर सहकारी संस्था मर्या., पुरानी शिवपुरी	1082/15-09-2011	2029/19-11-2019
9.	महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., भौराना	724/20-09-2016	2028/19-11-2019
10.	आदिवासी खनिज सहकारी संस्था मर्या., सर्विंघाखेड़ी	810/05-07-2017	2007/19-11-2019
11.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सेंवढा	652/01-12-2015	2005/19-11-2019
12.	मण्डल शासकीय कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., शिवपुरी	102/25-06-1966	2003/19-11-2019
13.	आदिवासी खनिज सह. संस्था मर्या., आदिवासी बस्ती शिवपुरी	805/05-05-2017	2143/22-11-2019
14.	आदर्श महिल बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., मझेरा	708/03-09-2016	2144/22-11-2019
15.	आदिवासी खनिज सहकारी संस्था मर्या., बड़ौदी	804/05-05-2017	2146/22-11-2019
16.	महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., बदरखा	536/01-05-2017	2140/22-11-2019
17.	कार्यालयीन सामग्री सप्लायर्स सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी	667/29-03-2016	2121/21-11-2019
18.	भूतपूर्व सैनिक कल्याण सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी	812/05-05-2017	2142/24-11-2019

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 सी के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण

के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना आज दिनांक 08 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी की गयी।

अनिल श्रीवास्तव,

परिसमापक।

(200)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला शिवपुरी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमाप नियुक्त आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	विवेकानन्द सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी	800/05-05-2017	2099/21-11-2019
2.	विकास महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था वनगुवाँ करैरा	58/23-12-2003	2102/21-11-2019
3.	आदर्श मत्स्यउद्योग सहकारी संस्था, छत्तपुर	622/06-02-2014	2145/22-11-2019
4.	धाय महादेव बीज उत्पादन सहकारी संस्था मर्या., खोड़	576/06-02-2013	2133/21-11-2019
5.	महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., नया बलारपुर	733/08-12-2016	2107/21-11-2019
6.	श्रीराम मत्स्योद्योग सहकारी संस्था, तिजारपुर	587/16-09-2011	2136/22-11-2019
7.	आदिवासी खनिज सहकारी संस्था मर्या., बांसखेड़ी	665/03-02-2016	2122/21-11-2019
8.	चर्म उद्योग सहकारी संस्था बामैरकलां	102/23-09-1961	2130/21-11-2019
9.	महिल बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., सलैया डामरौन	57/23-12-2003	2141/22-11-2019
10.	महिल बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., सावौली नरवर	35/05-09-2003	2027/19-11-2019
11.	संयुक्त कृषि सहकारी संस्था मर्या., अनभौरा	408/01-03-1968	1999/19-11-2019
12.	मत्स्योद्योग सहकारी संस्था, मेहरा	511/09-06-2005	1998/19-11-2019
13.	इंदिरा आदिवासी बन श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., बीलवरा खुर्द	181/12-05-1966	1997/19-11-2019
14.	जय शिव प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., शिवपुरी	688/06-05-2016	1995/19-11-2019

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 सी के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना आज दिनांक 09 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी की गयी।

मनोज श्रीवास्तव,

परिसमापक।

(201)

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला धार

धार, दिनांक 07 जनवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57(1)सी/ग के अंतर्गत]

क्र./परि./2019-20/क्यू.-1.—कार्यालय उप-पंजीयक, सह. संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 1960

की धारा-69 के अन्तर्गत उपरोक्त संस्थाओं को परिसमापन में लया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया हैं।

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	ईंट कवेलू सह. संस्था मर्या., सुन्दैल.	552/17-06-1983	1633/04-10-2005	संशोधित आदेश क्र. 2019/49, धार, दिनांक 07-01-2020.
2.	ईंट कवेलू सह. संस्था मर्या., धरमपुरी.	698/17-11-1987	1633/04-10-2005	संशोधित आदेश क्र. 2019/49, धार, दिनांक 07-01-2020.
3.	नर्मदा महिला बनुकर साख सह. संस्था मर्या., पटलावद.	07/31-05-1992	1633/04-10-2005	संशोधित आदेश क्र. 2019/49, धार, दिनांक 07-01-2020.

उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के पूर्व परिसमापकों से मुझे किसी प्रकार का कोई रिकार्ड या दस्तावेज आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1992 नियम-57(1) सी/ग के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में त्रुटि की दशा में सदस्यगण, साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाहीन होंगे। यदि दो माह के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो, बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे।

उक्त सूचना आज दिनांक 07 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(202)

राजेश विक्टर,

अंकेक्षण अधिकारी एवं परिसमापक।

कार्यालय, परिसमापक एवं प्रबन्धक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अंतर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत आदेश क्रमांक/विधि/2019/2298, दिनांक 28-12-2019 से मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., दोंदवाडा	2189/07-03-2012	2298/28-12-2019
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धारकवाडी	2193/26-03-2012	2298/28-12-2019
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., माण्डला	2203/31-03-2012	2298/28-12-2019
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., फेफरियामाल	2359/06-02-2016	2298/28-12-2019
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मिनावा	2381/02-05-2017	2298/28-12-2019
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मालूद	2382/02-05-2017	2298/28-12-2019
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बडगाँव	2283/02-05-2017	2298/28-12-2019
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भौरली	2384/02-05-2017	2298/28-12-2019
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पाटाखाली	2392/26-09-2017	2298/28-12-2019
10.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गडबडीमाल	2393/26-09-2017	2298/28-12-2019
11.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चमाटी	2397/10-01-2018	2298/28-12-2019
12.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवलदी	2429/01-11-2018	2298/28-12-2019

अतः मैं, ए. के. दुबे, परिसमापक एवं प्रबन्धक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्रमांक-57 (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था/संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे कार्यालय, दुग्ध संयंत्र खण्डवा में लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं।

त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (कलेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा, उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस उक्त समिति/समितियों की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियाँ अथवा कोई भी सामान या रिकार्ड आदि हो, तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अंदर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों का रिकार्ड होने की जानकारी मिलती है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 02 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई।

ए. के. दुबे,

(203)

परिसमापक एवं प्रबंधक।

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला सिंगरौली

सिंगरौली, दिनांक 28 अगस्त, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/394.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/424, दिनांक 29 मई, 2012 के द्वारा जय माँ दुर्गे क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, नवानगर (पूर्वी), तहसील एवं जिला सिंगरौली जिसका पंजीयन क्र. 1007, दिनांक 15 अप्रैल, 2005 है। को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पी. के. मिश्रा, वरिष्ठ सहकारी निरेक्षक, जिला सिंगरौली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के तहत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं दीप्ति बनवासी, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश जय माँ दुर्गे क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, नवानगर (पूर्वी), तहसील एवं जिला सिंगरौली का निगम द्वारा निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 अगस्त, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(204)

सिंगरौली, दिनांक 28 अगस्त, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/395.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/603, दिनांक 26 जुलाई, 2016 के बिंदु क्रमांक 04 में उल्लेखित सिद्धार्थ क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., जयंत, तहसील एवं जिला सिंगरौली जिसका पंजीयन क्र. 931, दिनांक 20 जनवरी, 2004 है। को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री राजेश कुमार निगम, तत्कालीन उप अंकेक्षक, जिला सिंगरौली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के तहत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं दीप्ति बनवासी, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश सिद्धार्थ क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., जयंत तहसील एवं जिला सिंगरौली का निगम द्वारा निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 अगस्त, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(205)

सिंगरौली, दिनांक 28 अगस्त, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/396.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/603, दिनांक 26 जुलाई, 2016 के बिंदु क्रमांक 03 में उल्लेखित ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., नौदिया, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली जिसका पंजीयन क्र. 981, दिनांक 03 फरवरी, 2005 है। को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री राजेश कुमार निगम, तत्कालीन उप अंकेक्षक, जिला सिंगरौली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के तहत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं दीप्ति बनवासी, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., नौदिया, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली का निगम द्वारा निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 अगस्त, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(206)

सिंगरौली, दिनांक 31 अक्टूबर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/509.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/929, दिनांक 30 सितम्बर, 2014 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खुरमुचा, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली जिसका पंजीयन क्र. 54, दिनांक 16 दिसम्बर, 2010 है। को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री वाई. बी. तेली, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला सिंगरौली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के तहत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं दीप्ति बनवासी, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खुरमुचा, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली का निगम द्वारा निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(207)

सिंगरौली, दिनांक 31 अक्टूबर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/510.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/929, दिनांक 30 सितम्बर, 2014 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, ढोंगा, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली जिसका पंजीयन क्र. 47, दिनांक 14 दिसम्बर, 2010 है। को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री वाई. बी. तेली, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला सिंगरौली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के तहत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं दीप्ति बनवासी, उप-पंजीयक सहकारी समितियाँ, जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, ढोंगा, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली का निगम द्वारा निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(208)

सिंगरौली, दिनांक 31 अक्टूबर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/513.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/127, दिनांक 23 जनवरी, 2016 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, धवई, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली जिसका पंजीयन क्र. 653, विनांक 01 नवम्बर, 1993 है। को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला सिंगरौली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के तहत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं दीप्ति बनवासी, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, धवई, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली का निगम द्वारा निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(209)

सिंगरौली, दिनांक 31 अक्टूबर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/514.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/929, दिनांक 30 सितम्बर, 2014 के द्वारा महुआ वृक्ष उत्पादक फूल एवं बीज क्रय-विक्रय औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, पराई, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली जिसका पंजीयन क्र. 1011, दिनांक 25 अप्रैल, 2005 है। को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला सिंगरौली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के तहत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं दीप्ति बनवासी, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश महुआ वृक्ष उत्पादक फूल एवं बीज क्रय-विक्रय आद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, पराई, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली का निगम द्वारा निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(210)

सिंगरौली, दिनांक 31 अक्टूबर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/515.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/929, दिनांक 30 सितम्बर, 2014 के द्वारा महिला सिलाई, कढाई, बुनाई एवं टाइपिंग सहकारी समिति मर्यादित, जयंत, तहसील एवं जिला सिंगरौली जिसका पंजीयन क्र. 854, दिनांक 22 अप्रैल, 2003 है। को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला सिंगरौली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के तहत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं दीप्ति बनवासी, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश महिला सिलाई, कढ़ाई, बुनाई एवं टाइपिंग सहकारी समिति मर्यादित, जयंत, तहसील एवं जिला सिंगरौली का निगम द्वारा निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(211)

सिंगरौली, दिनांक 31 अक्टूबर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/516.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/918, दिनांक 27 सितम्बर, 2014 के द्वारा व्ही. एस. टी. पी. पी. कर्मचारी सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., विन्ध्यनगर, तहसील एवं जिला सिंगरौली जिसका पंजीयन क्र. 454, दिनांक 18 अक्टूबर, 2003 है। को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला सिंगरौली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के तहत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं दीप्ति बनवासी, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश व्ही. एस. टी. पी. पी. कर्मचारी सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., विन्ध्यनगर तहसील एवं जिला सिंगरौली का निगम द्वारा निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(212)

सिंगरौली, दिनांक 31 अक्टूबर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/517.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/929, दिनांक 30 सितम्बर, 2014 के द्वारा विस्थापित श्रमिक ठेका सहकारी समिति मर्या., मुहर, तहसील एवं जिला सिंगरौली जिसका पंजीयन क्र. 910, दिनांक 06 मई, 2003 है। को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पी. के. मिश्रा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला सिंगरौली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के तहत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं दीप्ति बनवासी, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश विस्थापित श्रमिक ठेका सहकारी समिति मर्या., मुहर, तहसील एवं जिला सिंगरौली का निगम द्वारा निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(213)

सिंगरौली, दिनांक 31 अक्टूबर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/518.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/929, दिनांक 30 सितम्बर, 2014 के द्वारा विस्थापित श्रमिक ठेका सहकारी समिति मर्यादित, सिंगाही, तहसील एवं जिला सिंगरौली जिसका पंजीयन क्र. 911, दिनांक 06 मई, 2003 है। को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पी.के. मिश्रा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला सिंगरौली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के तहत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं दीप्ति बनवासी, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश विस्थापित श्रमिक ठेका सहकारी समिति मर्यादित, सिंगाही, तहसील एवं जिला सिंगरौली का निगम द्वारा निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(214)

सिंगरौली, दिनांक 31 अक्टूबर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/521.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/613, दिनांक 22 जुलाई, 2016 के द्वारा गायत्री दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पराई, तहसील चितरंगी जिला सिंगरौली जिसका पंजीयन क्र. 669, दिनांक 04 मार्च, 1987 है। को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला सिंगरौली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के तहत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं दीप्ति बनवासी, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश गायत्री दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पराई, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली का निगम द्वारा निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(215)

सिंगरौली, दिनांक 31 अक्टूबर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/522.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/929, दिनांक 30 सितम्बर, 2014 के द्वारा महिला उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, जयंत तहसील एवं जिला सिंगरौली जिसका पंजीयन क्र. 901, दिनांक 25 मार्च, 2003 है। को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री अम्बरीष देव बघेल, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला सिंगरौली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के तहत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं दीप्ति बनवासी, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश महिला उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, जयंत, तहसील एवं जिला सिंगरौली का निगम द्वारा निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(216)

सिंगरौली, दिनांक 31 अक्टूबर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/524.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/929, दिनांक 30 सितम्बर, 2014 के द्वारा महिला उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, तेलगवां, तहसील एवं जिला सिंगरौली जिसका पंजीयन क्र. 902, दिनांक 25 मार्च, 2003 है. को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री अम्बरीष देव बघेल, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला सिंगरौली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के तहत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं दीप्ति बनवासी, उप-पंजीयक सहकारी समितियाँ, जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश महिला उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, तहसील एवं जिला सिंगरौली का निगम द्वारा निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(217)

सिंगरौली, दिनांक 31 अक्टूबर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/525.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/929, दिनांक 30 सितम्बर, 2014 के द्वारा महिला उद्योग सहकारी समिति मर्या., नौगढ़, तहसील एवं जिला सिंगरौली जिसका पंजीयन क्र. 890, दिनांक 18 फरवरी, 2003 है. को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री अम्बरीष देव बघेल, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता जिला सिंगरौली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के तहत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं दीप्ति बनवासी, उप-पंजीयक सहकारी समितियाँ, जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश महिला उद्योग सहकारी समिति मर्या., नौगढ़, तहसील एवं जिला सिंगरौली का निगम द्वारा निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

दीप्ति बनवासी,
उप-पंजीयक.

(218)



मंत्रप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 फरवरी, 2020-माघ 18, शके 1941

भाग 3 (2)

सांख्यकी सूचनाएँ

कार्यालय आयुक्त, भू-अधिलेख एवं बद्वेष्ट, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सनाहान्त बुधवार, दिनांक 27 नवम्बर, 2019

1. मौसम एवं वर्षा—प्रायः राज्य में मौसम शुष्क रहा. किसी भी जिले में वर्षा का होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.
2. प्रारम्भिक जुताई एवं वर्षा का प्रभाव :- कोई प्रभाव नहीं.
3. बोनी पर वर्षा का प्रभाव :- कोई प्रभाव नहीं.
4. थान रोपाई पर वर्षा का प्रभाव :- कोई प्रभाव नहीं.
5. खड़ी फसल पर रोपा व कीड़ों का प्रभाव :- कोई प्रभाव नहीं.
6. कटी हुई फसल पर वर्षा का प्रभाव :- कोई प्रभाव नहीं.
7. अन्य असामयक घटना से क्षति :- कोई प्रभाव नहीं.
8. फसल स्थिति :-जिलों से प्राप्त पत्रकों में फसल स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.
9. सिंचाई:- राज्य के कुछ जिलों में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में प्रतिवेदित किया गया है. संबंधित जिलों के सामने सांख्यिकी मूरचना-1 में प्रतिवेदित किया गया है.
10. पशुओं की स्थिति:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.
11. चारा :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.
12. बीजः- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
13. खेतिहर श्रमिक :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक-1, सप्ताहान्त बधवार, दिनांक 27 नवम्बर, 2019

क्र.	जिला	तहसील	सप्ताह में वर्षा जो हुई मि. मी. वर्षा कम/अधिक.	कृषि कारों, प्रारंभिक जुताई, बोनी पर (रोपाइ) पर (धान) कटी हुई	खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण का प्रभाव.	y;	क्षति प्रतिशत में	जिले की गत वर्ष की फसल की तुलना में चालू वर्ष की खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान फसल का क्षेत्रफल-समान या कम प्रतिशत फसल की हालत-समान, बिगड़ी या सुधरी प्रतिशत	5. सिंचाई के लिये पानी पर्याप्त या अपर्याप्त. 6 (अ) चारे की प्राप्ति. 6 (ब) पशुओं की हालत	(7) बीज की प्राप्ति कृषि सम्बन्धी. (8) मजदूरों की प्राप्ति
1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8	9	10
1.	मुरैना :	मुरैना :	बोनी चालू	चना गेहूँ	5. पर्याप्त. 6.(अ)संतोषजनक, 6.(ब)अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
		अम्बाह
		पोरसा
		मुरैना
		जौरा
		कैलास
2.	श्योपुर :	सबलगढ़
		श्योपुर	गन्ना तुअर राईसरसों	कपास मटर गेहूँ	धान सामान्य सामान्य सामान्य सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई
		कराहल
		विजयपुर
		वीरपुर
		बडोदा
3.	भिण्ड :	भिण्ड	जुताई चालू बोनी चालू	राईसरसों	अधिक 15% सुधरी हुई	5. पर्याप्त. 6.(अ)संतोषजनक, 6.(ब)अच्छी. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
		अटेर
		भिण्ड
		गोहद
		मेहगांव
		लहार
		रैनमिहोना
		गोरमी
		मौ

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10	
17.	अनूपपुर :	जैतहरी	जुताई चालू	धान	समान	..	सुधरी हुई	20%	5. . .	6.(अ) संतोषजनक,	6.(ब) अच्छी,	7. पर्याप्त,	8. पर्याप्त.		
		अनूपपुर	बोनी चालू	तुअर	अधिक	10%	सुधरी हुई	10%		
		कोतमा	ज्वार	अधिक	5%	सुधरी हुई	15%		
		पुष्पराजगढ़	राईसरसों	अलसी	मसूर	अधिक	5%	सुधरी हुई	5%		
		बांधवगढ़	जुताई चालू	चना	गेहूँ	..	अधिक	5%	सुधरी हुई	5%		
18.	उमरिया :	बांधवगढ़	बोनी चालू	तुअर	कम	2%	सामान्य	.. .	5. पर्याप्त.	6.(अ) संतोषजनक,	6.(ब) अच्छी,	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.		
		पाली		
		चंदिया		
		नौरोजाबाद		
		मानपुर		
19.	सीधी :	गोपदवनास	जुताई चालू	गेहूँ	कम	70%	समान	.. .	5. . .	6.(अ) संतोषजनक,	6.(ब) अच्छी,	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.		
		सिंहावल	बोनी चालू	चना	कम	10%	समान		
		मझौली	राईसरसों	कम	50%	सामान्य		
		कुसमी	जौ	कम	70%	सामान्य		
		चुरहट	अलसी	समान	.. .	सामान्य		
		बहरी	मसूर	कम	60%	सामान्य		
		गमपुरनैकिन		
		सिंगराली:	जुताई चालू	तुअर	कम	2%	सुधरी हुई	5%	5. पर्याप्त.	6.(अ) संतोषजनक,	6.(ब) अच्छी,	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.		
20.		चितरंगी	बोनी चालू	ज्वार	समान	.. .	सुधरी हुई		
		देवसर	चना	कम	30%	समान		
		सरई	अलसी	राईसरसों	.. .	कम	10%	समान		
		माडा	मटर	मसूर	.. .	कम	10%	समान		
		सिंगराली	अन्य	कम	5%	सामान्य		

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8	9	10		
24.	उज्जैन :	खाचरौद महिदपुर तराना घटिया उज्जैन बड़नगर नागदा	जुताई चालू बोनी चालू	5. पर्याप्त. 6.(अ)संतोषजनक, 6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.		
25.	आगर :	बड़ौद सुसनर नलखेड़ा आगर	बोनी चालू	5. पर्याप्त. 6.(अ)संतोषजनक, 6.(ब)अच्छी.	7. .. 8. पर्याप्त.		
26.	शाजापुर:	मोमन (बड़े) शाजापुर शुजालपुर कालापीपल पोलायकलां अब्बोपु बडैदिया गुलाना	जुताई चालू बोनी चालू	गेहूँ चना राईसरसों	20% कम 25% समान .. समान .. कम 10% समान ..	समान .. सामान्य .. सामान्य .. सामान्य .. समान .. समान ..	5.	6.(अ)संतोषजनक, 6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.	
27.	देवास :	सोनकच्छ टोंकखुर्द देवास बागली कन्नोद हाटपिपल्या सतवास उदयनगर खातेगांव	जुताई चालू	गेहूँ मसूर चना मटर राईसरसों अन्य	कम 15% कम 100% कम 10% कम 100% कम 100% कम 25%	सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई	5.	6.(अ)संतोषजनक, 6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8	9	10	
28.	झाबुआ :	थांदला मेघनगर पेटलावद झाबुआ राणापुर रामा	जुताई चालू बोनी चालू	5. अपर्याप्त. 6.(अ)संतोषजनक, 6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. . .	
29.	अलीराजपुर :	जोवट अलीराजपुर कटटीवाडा सोंडवा उदयगढ़ चन्द्रशेखर आ. नगर भामरा	बोनी चालू	5. .. 6.(अ)संतोषजनक, 6.(ब)अच्छी.	7. .. 8. पर्याप्त.	
30.	धार :	बदनावर सरदारपुर धार कुक्सी मनावर धरमपुरी गंधवानी डही पीथमपुर	जुताई चालू बोनी चालू	कपास गन्ना गेहूँ चना	अधिक 5% अधिक 20% कम .. अधिक ..	सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई	5. .. 6.(अ)संतोषजनक, 6.(ब)अच्छी.	7. .. 8. पर्याप्त.
31.	इन्दौर :	देपालपुर सांवर इन्दौर गौतमपुरा महू (अम्बे.)	जुताई चालू बोनी चालू	5. .. 6.(अ)संतोषजनक, 6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.	

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8				9			10	
32.	खरगौन :	बड़वाह महेश्वर सेगांव खरगौन गोगावां कसरावद भगवानपुरा भीकनगांव सनावद झिरन्या	कपास तुअर	अधिक कम	समान समान	5. पर्याप्त. 6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
33.	बड़वानी :	बड़वानी ठीकरी राजपुर सेंधवा पानसेमल पाटी अंजड बरला निवाली	जुताई चालू बोनी चालू	गेहूँ चना	अधिक अधिक	10% 25%	समान समान	5. . . 6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	
34.	खण्डवा :	खण्डवा पुनासा खालवा पंधाना हरसूद	बोनी चालू	गेहूँ चना	कम अधिक	5% 2%	5. पर्याप्त. 6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. . . 8. पर्याप्त.		
35.	बुरहानपुर :	बुरहानपुर खकनार नेपानगर	जुताई चालू बोनी चालू	कपास तुअर	अधिक कम	15% 5%	सुधरी हुई सुधरी हुई	10% 10%	5. . . 6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10	
43.	हरदा :	हरदा खिड़किया सिराली रेहटगांव हॉडिया टिमरनी	जुताई चालू बोनी चालू	गेहूं चना राईसरसे अलसी	.. मसूर मटर	कम कम कम कम कम कम	40% 10% 15% 5% 30%	सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य	5. पर्याप्त. 6.(अ) संतोषजनक,	6.(ब) अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.		
44.	जबलपुर:	जबलपुर कुण्डम सीहोरा पाटन मझौली शाहपुरा पनागर अधारताल	जुताई चालू बोनी चालू	धान तुअर	अधिक कम	15% 40%	सुधरी हुई सुधरी हुई	5%	5. पर्याप्त. 6.(अ) संतोषजनक,	6.(ब) अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.		
45.	कटनी :	बहोरीबंद ढाईमरखेड़ा रीठी बड़वारा मुड़वारा (क) विजयराधवगढ़ बरही	जुताई चालू बोनी चालू	धान तुअर चना मसूर राईसरसे अलसी	समान समान समान समान समान समान	समान समान समान समान समान समान	5. पर्याप्त. 6.(अ) संतोषजनक,	6.(ब) अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.		
46.	नरसिंहपुर : नरसिंहपुर गोटेगांव करेली गाडरवारा तेंदूखेड़ा	बोनी चालू	गन्ना धान तुअर	कम अधिक अधिक	5% 5% 5%	5. .. 6.(अ) संतोषजनक,	6.(ब) अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.			

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10			
51.	बालाघाट :		धान	समान	..	समान	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. ..	8. पर्याप्त.
	बालाघाट	
	लाँजी	
	किरनापुर	
	बैहर	
	वारासिवनी	
	कटंगी	
	लालबरा	
	तिरोडी	
	परसवाड़ा	
	बिरसा	
	खैरलाँजी	

(196)

बी. बी. अग्निहोत्री,

उप-आयुक्त,

वास्ते-आयुक्त,

भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश.